संख्या- 1 /पी-37/अड़तीस-9-14-04(पीएमजीएसवाई)/2012

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 08 जनवरी, 2014**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3195/एफ-31(5)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/ 2013-14, दिनांक-06-12-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 40,00,00,000/-(रूपये चालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-पी-389/38-9-2013-04(पीएमजीएसवाई)/2012, दिनांक-10-04-2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 20,00,00,000/-(रूपये बीस करोड़ मात्र) तथा शासनादेश संख्या-पी-806/38-9-2013-04(पीएमजीएसवाई)/2012, दिनांक-16-09-2013 द्वारा अवमुक्त रू0 11,11,00,000/-(रूपये ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख मात्र) के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 8,89,00,000/-(रूपये आठ करोड़ नवासी लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- निर्मित सम्पर्क मार्गों का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28 मार्च, 2013 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(3)- उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जाय ।

(4)- धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक- "3054-सड़कें तथा सेतु-आयोजनेत्तर-04-जिला तथा अन्य सड़कें -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-03-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण-0301-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण " के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-1121/दस-2013, दिनांक-31 दिसम्बर, 2013 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या- 1 /पी-37 (1) /अड्तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1 ।
5- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
6- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in